राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लम्बलू, तहसील व ज़िला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के छात्र कल्याण निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2012 से 3/2015

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर कृत कार्यवाही की समीक्षा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान करने के उपरान्त अंकेक्षण अनुच्छेदों की नवीनतम स्थिति निम्नानुसार हैः–

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012

1 पैरा–5 निर्णीत (अनुपालना की सत्यापना उपरान्त)

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

संस्थान के छात्र कल्याण निधि लेखाओं अवधि 4/2012 से 3/2015 का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित हैं, श्री अजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) व श्री नरेन्द्र कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनाँक 8.6.15 से 16.6.15 तक लम्बलू में किया गया। निधि लेखाओं की विस्तृत ज़ाँच हेतु चयनित मासों का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	आय	व्यय
2012–13	8/2012	5/2012
2013–14	2/2014	8/2013
2014–15	8/2014	12/2014

अनुवर्ती अनुच्छेदो में दर्शाए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वाँछित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत किया गया।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन राज़कीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लम्बलू, तहसोल व ज़िला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं/अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण होने, त्रुटिपूर्ण होन अथवा उपलब्ध ही न होने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई

उत्तरदायित्व नहीं है। विभाग का उत्तरदायित्व केवल अंकेक्षण की विस्तृत ज़ाँच हेतु चयनित मासों तक सीमित ह।

अंकेक्षण अवधि में संस्थान के आहरण एवं् संवितरण अधिकारी पद पर कार्यरत्त रहे प्रधानाचार्य/अनुदेशको की सूची निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**नाम**	**अवधि**
1	श्री प्यार चन्द अत्री	1.4.12 से 24.3.13
2	श्री रत्न लाल राणा	25.3.13 से 31.3.15

3 अंकेक्षण शुल्कः–

संस्थान के अवधि 4/2012 से 3/2015 तक के छात्र निधियों के अंकेक्षण शुल्क का आँकलन ₹9000/– किया गया जिसे संस्था द्वारा रेखाँकित बैंक ड्राफ्ट संख्या 300990, दिनाँक 15.6.2015 द्वारा "निदेशक, स्थानीय लखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9" के पक्ष में प्रेषित कर दिया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

राज़कीय औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान लम्बलू के छात्र कल्याण निधि लेखाओं की वित्तीय स्थिति, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण संलग्न **परिशिष्ट "क" (1) से क (3)"** में दिया गया है, के अवलोकन पर पाई गई निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियों का निराकरण किया जाना अपेक्षित हैः–

(क) छात्र निधियों का उपयोग न करनाः–

छात्र कल्याण निधि लेखाओं की वित्तीय स्थिति की विवेचना करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में छात्र निधियों का उपयोग छात्र कल्याण गतिविधियों पर नहीं किया गया है जो इस सन्दर्भ में बनाए गए नियमों क विपरीत होने के साथ–साथ प्रशिक्षुओं से निधियों की वसूली को भी Justify नहीं करता है। अतः भविष्य में छात्र निधियों में प्राप्त राशियों का उपयोग छात्र कल्याण गतिविधियो पर नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि छात्र निधियों में प्राप्त राशियों का औचित्य स्पष्ट होने के अतिरिक्त छात्रों को

शिक्षा के क्षेत्र में बेहत्तर सुविधाऐं प्राप्त हो सके। जिन निधियों से व्यय नहीं किया गया है उनका विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	निधियों का विवरण
2012–13	जुर्माना निधि
2013–14	परीक्षा निधि, स्वास्थय निधि, पुस्तकालय निधि, ट्रेनिंग एवं प्लेसमेन्ट निधि, भवन निधि, जुर्माना निधि, पी0एन0टी0सी0 निधि व कम्पयूटर निधि।
2014–15	पहचान पत्र निधि, परीक्षा निधि, पुस्तकालय निधि, ट्रेनिंग एवं प्लेसमेन्ट निधि, जुर्माना निधि, पी0एन0टी0सी0 निधि।

(ख) छात्र निधियों में संचित राशियों से सावधि जमा योजना में निवेश न करनाः–

छात्र निधियों की वित्तीय स्थिति का अवलोकन करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में छात्र निधियों में संचित राशियों से एक समुचित भाग सावधि जमा योजना में निवेश नहीं किया है जबकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान छात्र कल्याण निधि नियम, 2009 के नियम 4 (ख) के अनुसार छात्र निधियों में संचित राशि कम से कम बैंक बचत खाते में रखकर शेष राशि का किसी निश्चित अवधि के लिए सावधि जमा योजना में निवेश किया जाना अपेक्षित है। अतः नियमों की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में छात्र निधिया में संचित राशियों से एक समुचित भाग जिसकी संस्थान को तत्काल आवश्यकता न हो किसी निश्चित अवधि हतु सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सनिश्चित किया जाए ताकि बैंक से बचत खातों पर प्राप्त ब्याज की अपेक्षा सावधि जमा योजना में निवेशित राशि पर अधिक ब्याज अर्जित करके छात्र निधियों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के अतिरिक्त उपरोक्त नियम की अनुपालना भी सुनिश्चित हो सके।

5 छात्र कल्याण निधि से चौकीदार के वेतन तथा टैलीफोन बिल के भुगतान के रूप में ₹144803/– के व्यय की प्रतिपूर्ति न करनाः–

छात्र कल्याण निधि से कृत व्यय से सम्बन्धित अभिलेख की ज़ाँच करने पर पाया गया कि उपरोक्त सन्दर्भित व्यय हिमाचल प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान छात्र कल्याण निधि नियम–2009 के नियम 3 में वर्णित विभिन्न प्रयोजनो के अनुरूप न होने के कारण कृत व्यय छात्र कल्याण निधि पर उचित प्रभार नहीं है। इसके अतिरिक्त निदेशक तकनीकी शिक्षा, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या IX (TE) H-C(1)-1/Misc. Corp./2013-51659 दिनाँक 17.7. 2014 के माध्यम से रात्रि चौकीदार के मासिक वेतन की अदायगी छात्र कल्याण निधि से करने

हेतु प्राप्त अनुमति की शर्तानुसार उपरोक्त सन्दर्भित व्यय की प्रतिपूर्ति किसी अन्य उचित स्त्रोत से की जानी है जो वर्तमान अंकेक्षण की समाप्ति तक नहीं की गई है। अतः वेतन के रूप में निम्नविवरणानुसार छात्र कल्याण निधि से चौकीदार को कृत भुगतान की प्रतिपूर्ति यथासमय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब इस प्रकरण को उच्चधिकारियों के समक्ष उठाते हुए अपेक्षित प्रतिपूर्ति हेतु यथासम्भव अनुदान की माँग की जाए ताकि छात्र कल्याण निधि से हुए अनुचित व्यय की यथासमय पतिपूर्ति सुनिश्चित हो सके व इस राशि के बैंक खाते में जमा रहने पर बैंक से प्राप्ति योग्य ब्याज की और हानि से बचा जा सकेः–

क्र0सं0	**निधि का विवरण जिस से भुगतान किया गया**	**अवधि**	**भुगतान की गई राशि (₹)**
1	पानी व बिजली निधि	7/2012 से 6/2014	123280
2	छात्र कल्याण निधि	4/2012 से 5/2012	10200
		23.12.08 से 31.12.08 (बकाया वेतन का भुगतान)	10378
		टैलीफोन बिल 1.3.12 से 31.3.12	945
		कुल राशि	**₹144803**

6 **<u>खेलकूद प्रतियोगिताओं पर कृत ₹5648/– के व्यय की प्रतिपूर्ति संस्थान प्रबन्धन कमेटी निधि से करनाः–</u>**

माह 8/2013 से ज़िला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता जो अवधि 21.3.13 से 23.3.13 तक राज़कीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नादौन स्थित रैल, ज़िला हमीरपुर में आयोजित की गई थी, के दौरान होने वाले व्यय को वहन करने हेतु श्री श्यामलाल अनुदेशक पम्प ऑपरेटर को ₹8000/–का अग्रिम दिया गया जिससे सम्बन्धित समायोजन लेखाओं की ज़ाँच करने पर पाया गया कि उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 10 प्रतिभागियों में से 7 खिलाड़ी संस्थान प्रबन्धन कमेटी से सम्बन्धित थे तथा प्रतियोगिता के दौरान हुए ₹8068/– के कुल व्यय जिसे छात्र कल्याण निधि से निकाला गया है, में से अनुपातिक आधार पर ₹5648/– की प्रतिपूर्ति संस्थान प्रबन्धन कमेटी निधि से की जानी अपेक्षित है। अतः छात्र कल्याण निधि से कृत

अनुचित व्यय की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके कृत कार्रवाई की अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 **Free seats व Paid seats के छात्रों से फीस व निधियों की वसूल की गई राशियों का रख–रखाव प्रतिदिन प्राप्ति रजिस्टर में अलग से न करनाः–**

ज़ाँच के दौरान पाया गया कि अवधि 04/12 से 03/15 तक Free seats व Paid Seats के छात्रों से फीस व निधियों की वसूल की गई राशियों का रख–रखाव प्रतिदिन प्राप्ति रजिस्टर (Dialy collection register) में इकटठा ही किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदिन प्राप्ति रजिस्टर का रख–रखाव पेचीदा सा हो गया। अतः free seats तथा Paid seats से सम्बन्धित निधियों/प्राप्तियों का रख–रखाव प्रतिदिन प्राप्ति रजिस्टर में अलग–2 किया जाए ताकि रिकार्ड का रख–रखाव सरल हो सके।

8 **लघु आपत्तो विवरणिकाः–** संस्था को लघु आपत्ती विवरणिका जारी नहीं की गई थी।

9 **निष्कर्षः–** छात्र कल्याण निधि लेखाओं के रखरखाव में सुधार की और आवश्यकता है।

हस्ता/–

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी (15)xi(vi) 109/10 खण्ड–I–5581–5584 दिनांक,17.09.15 शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1 सचिव, (तकनीकी शिक्षा) हि0प्र0, शिमला–171002

2 निदेशक, तकनीकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश, सुन्दरनगर, ज़िला मण्डी (हि0प्र0)

पंजीकृत 3 प्राचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लम्बलू, तहसील व जिला हमीरपुर को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित अनियमितताओं का सटिप्पण उत्तर निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, शिमला–171009 को प्रतिवेंदन के जारी होने के एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

4 श्री अजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा..............

हस्ता/–

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.